रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258192
CG-DL-E-23102024-258192

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4267] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946
No. 4267] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2024

सं. 37/2024–25

विषयः एचएस कोड 100 630 90 के तहत गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन से–संबंधित।

का.आ. 4641(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची II (निर्यात नीति) के अध्याय 10 के तहत आइटीसी (एचएस) कोड 100 630 90 के तहत निर्यात नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
1006 30 90	गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पीसा हुआ या पूरी तरह से पीसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश या ग्लेज किया हो या नहीः अन्य)	मुक्त	निर्यात 490 अमरीकी डॉलर /टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन है	–

अधिसूचना का प्रभाव: एचएस कोड 100 630 90 के तहत गैर–बासमती सफेद चावल के निर्यात हेतु न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन द्वारा जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/171/010/एएम23 ईसी/ई–33294]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2024

No. 37/2024-25

Subject: Amendment in Export Policy of Non-Basmati Rice under HS code 1006 30 90 –reg

S.O. 4641(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, as amended time to time, the Central Government hereby, makes the following changes in Export Policy conditions under ITC (HS) Code 1006 30 90 under Chapter 10 of Schedule-II(Export Policy) of ITC (HS) 2022, as under :-

ITC(HS) code	Item Description	Export Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
1006 30 90	Non-Basmati White rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other)	Free	Export is subject to a Minimum Export Price of USD 490/tonne	-

<u>Effect of the Notification</u>: The requirement of Minimum Export Price (MEP) for the export of Non-Basmati White Rice under HS code 1006 30 90 has been lifted with immediate effect.

This is issued with the approval of the competent authority.

[F. No. 01/91/171/010/AM23EC /E-33294]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA